भारत में महिलाओं की स्थिति : इतिहास से अब तक

कुसुम चौधरी

सहायक प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र (अतिथि विद्वान)
शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.)

भारत में महिलाओं की स्थिति में पिछली कुछ शादियों कई बड़ें बदलाव का सामना किया है। प्राचीन काल में उनकी स्थिति पुरूषों में बराबर थीं, मध्यकाल में निम्न स्तरीय जीवन था, तथा कई सुधारकों द्वारा समान अधिकार को बढ़ावा दिए जाने तक भारत में महिलाओं की स्थिति का इतिहास काफी प्रगतिशील रहा, परन्तु आधुनिक युग में महिलाए काफी बड़े पदपर आसीन हुई जो राष्ट्रपति P.M. C.M.स्पीकर आदि।

इतिहास – महिलाओं की स्थित की चर्चा करने वाले साहित्य श्रोत बहुत ही कम है। 1730 ई0 के आसपास तन्जावुर के एक अधिकारी याम्बक ज्वन का स्त्री धर्म पद्धति एक महत्व पूर्ण अपवाद है इस पुस्तक में प्राचीन काल के अपस्तम्ब सूत्र चौथी शताब्दी ई. पूर्व के काल की नारी शुलभ आचरण सम्बन्धी नियम का संकलन किया गया है इसमें लिखा है।

''मुख्योधर्मः स्मृतिषु विहितो मात्र शत्रुषानम हिः स्त्री का मुख्य''

मुख्य कर्तव्य उसके पति सेवा से जुड़ा हुआ है।

जहाँ शुश्रुषा शब्द (अर्थात् सुनने की चाहा में ईश्वर के प्रति भक्ति की प्रार्थना से लेकर एक दास की निष्ठा पूर्व सेवा कई तरह के अर्थ समाहित है।विद्वानों का मानना है कि प्राचीन भारत में महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरूषों के बराबर दर्जा हासिल था।

नारी विमर्श के विभिन्न चरण

प्रकृति के प्रारम्भ से ही पुरूष व महिला को एक दूसरे का पूरक माना गया है उनके पारस्परिक सहयोग से मानव जाति निरन्तर चलती रही है। दोनों का एक दूसरे के लिए समान महत्व हैं। किसी भी समाज को उन्नति और प्रगतिशील बनाने के लिए दोनों की अपनी अपनी भूमिका होती है। दोनों मिलकर एक परविार का निर्माण करते हैं परिवार से ही समुदाय और समाज का निर्माण होता है इसीलिए दोनों को परिवार रूपीरथ के पहिए कहे जाते हैं।

महिलाओं की भूमिका अहम होती हैं क्योंकि वह अपने शिशु में संस्कृति सभ्यता और मानवीय गुणों का विकास गर्भावस्था से प्रारम्भ कर देती हैं। इसका उल्लेख महाभारत में देखने को कर देती हैं। इसका उल्लेख महाभारत में देखने को मिला है। जहाँ अभिमन्यु की माता के गर्भ से ही चक्र व्यूह भेदने को कला प्राप्त हो गई थी। इसी कारण से माता को बच्चे प्रथम गुरू कहा गया है। माता की गोद बालक की प्रथम पाठशाला होती है। वह अपने बच्चे को आदर्श नागरिक बनाने में एक महत्व पूर्ण भूमिका अदा करती है। एक आदर्श नागरिक ही एक आदर्श समाज स्थापित करता है।

नेपोलियन बोना पार्ट ने स्त्रियों के महत्व के बारे में लिखा है–

''मुझे एक योग्य माता दे दो मै तुमको एक योग्य राष्ट्र दूंगा''

समय बदलने के साथ स्त्रियों की स्थिति में दिनप्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है उसे समाज में एक आदर्श स्थान प्राप्त करने करने के लिए निरन्तर प्रयत्न करना पढ़ रहा है। इस दिशा में समाज सुधारक सरकार आदि सभी प्रयास कर उनके स्तर को निरन्तर बढ़ाने का प्रयास कर रहे है।

हजरत ईसा के अनुसार परमेश्वर ने नर और नारी को बनाया उसमें पति और पत्नी का स्थान सर्वोच्च है। पति पत्नी के रूप में उनके संबंध तब ही पवित्र रह सकते है जब तक वे एक दूसरे वफादार रहते है।''

सुप्रसिद्ध विचारक अरस्तू का कथन है –

''नारी की उन्नति या अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति व अवनति निर्धारित है।''

स्वामी विवेकानन्द ने कहा कि ''औरतों की स्थिति में सुधार लाए बिना दुनिया का कल्याण सम्भव नहीं है। यह एक पंख से चिड़िया उड़ान भर न सकती है।''

1925 में गाँधी जी ने कहा था –

जब तक महिलाए भारत में सार्वजनिक जीवन में हिस्सा नहीं लेती है देश का उद्धार नहीं हो सकता है वास्तव में नारी की सदृढ़ एवं सम्मान जनक स्थिति एक उन्नत समृद्ध एवं मजबूत समाज, राष्ट्र का द्योतक है।''

गाँधी जी ने हिन्दू स्वराज में लिखा है–

''जब तक आदि मानवता की आँखों में आशु है मानवता पूर्ण नहीं कही जा सकती''

विभिन्न कालों में महिलाओं की स्थिति वैदिक काल में भारतीय नारी की स्थिति प्राचीन भारतीय समाज महिलाओं की स्थिति उत्पन्न उच्च व सम्मान जनक थी उन्हें सुख वैभव शान्ति व ज्ञान का प्रतीक माना जाता था। उन्हें कभी दुर्गा कभी सरस्वती के रूप में पूजा गया उन्हें समाज में शिक्षा का अधिकार प्राप्त था उस समय मातृ सत्ता थी वे वेदों की ज्ञाता एवं शास्त्रार्थ की ज्ञाता थी उनके बिना कोई धार्मिक सामाजिक राजनैतिक कार्य पूरा नहीं होता था उन्हें अपनी अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार था।

ऋग्वेद में लिखा है–

''स्त्री हि ब्रह्मा वभुषिथ।''

प्रत्येक देवता के साथ उसकी दैविक शक्ति की कल्पना की गई है। वेदों में मन्त्र की दृष्टा ऋषिकाओं के रूप में भी प्रसिद्ध विदुषी नारियाँ अपने सदगुणों से प्रतिष्ठित है।

लेकिन धीरे धीरे भारतीय समाज में मनु स्मृति, गौतम ऋषि का श्राप के प्रभाव और अहिल्या के शिला बनने के पश्चात् भारतीय समाज में पित्र सतात्मक समाज हो गया और भारतीय नारी का ह्रास प्रारम्भ हो गया' प्राचीन भारत के कुछ सम्राज्यों में नगर वधु जैसे परम्परायें भी देखने को मिलती है। आम्रपाली नगर वधु का उदाहरण सबसे प्राचीन है उत्तर वैदिक काल आते–आते उनका ह्रास दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है जहाँ पाण्डव में अपनी पत्नी द्रोपदी को जुए में हार गये थे और अपमानित होना पड़ा मनु परम्परा का प्रारम्भी इस युग में हो गया इसके अनुसार उसे वेद पाठ की अनुमति नहीं रही उसके यज्ञ करने पर भी पाबन्दी लगा दी गई पति परमेश्वर होने की भावना इस युग की देन थी विधुवा विवाह पर भी पाबन्दी लगाई तथा बाल विवहा का प्रचलन भी इस युग में प्रारम्भ हो गया था इस प्रकार का वर्णन गौतम धर्म सूत्र से प्राप्त होता है घर में बालिका पैदा होना परिवार के लिए अभिशाप समझा जाने लगा परन्तु उतनी फिर भी स्थिति खराब नहीं थी जितनी कि आज है।

धर्म युग या स्मृति युग–

इस युग में महिलाओं की स्थिति में अत्यन्त तेजी गिरावट प्रारम्भ हुई। स्मृति और सूत्र कारों ने इस प्रकार के नियम का प्रतिदिन किया कि नारी की स्थिति एक सेविका और दुर्बल बेचारी नारी के रूप में होने लगी पति की सेवा करना उसका परम धर्म माना जाने लगा। उससे बराबरी का अधिकार छीन गया यही से महिला सम्मान के परापव का आरम्भी हो गया जब उनका जीवन त्रिविर्माय विभाजन कर उसे क्रमशः पिता पति के अधीन कर दिया गया अर्थात् वह प्रत्येक रूप में पुरूष की गुलाम बन कर ही रह गई। उसकी शिक्षा पर पूर्णतः

प्रतिबन्ध लग गया और उसके समस्त अधिकारों को समाप्त कर दिया। महिला सम्मान व स्वातंत्रता का यह मात्र प्रथम सोपान था। मध्य युग में नारी की स्थिति – मध्य युग आते आते महिलाओं की स्थिति व सम्मान उत्तरोत्तर पतन से भयावह स्थिति में पहुँच गया। विदेशी आक्रमण जन्म असुरक्षा ने बाल विवाह, सती प्रथा, जौहर पर्दा प्रथा जैसी तमाम कुरीतियों को जन्म दिया परन्तु उस काल में भी रजिया सुल्तान, दुर्गावती, लक्ष्मीबाई जी, जाकई कर्णवती व अहिल्या बाई आदि अन्य स्त्रियाँ, रश्मियाँ अल्पकाल के लिये चमकी परन्तु के नाम मात्र ही थी।इस समय शिक्षा का लोप हो गया तथा बाल विवाह को पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त हो गई। बाल विवाह की उम्र 8–9 वर्ष हो गई। विधवा विवाह पर पूर्ण रूप से रोक लग गई तथा परदा प्रथा का प्रारम्भ हो गया। सती प्रथा का प्रारम्भ भी इस युग की ही देन है पुरूष एक से अधिक पत्नी रखना अपनी शान समझने लगे विधवा का अपने पुत्र की सरंक्षिका होने का अधिकार छिन गया। उसे उपभोग की वस्तु माना जाने लगा। भारतीय समाज में स्त्रियां इस काल में संस्कृति पर एक धब्बा बनकर रह गयी थी।

आधुनिक युग में महिलाओं की स्थिति –इसे दो भागों में बाँट सकते हैं।

1. **स्वतंत्रता के पूर्व महिलाओं की स्थिति–** मध्य युग के अवसान के साथ ही नवयुग का आगमन ब्रिटिश दासता की सौगात तो अवश्य लेकर आया, किन्तु यूरोपीय पुनर्जागरण के सकारात्मक प्रभावों से भारतीय उपमहाद्वीप भी अप्रभावित न रह सका महिलाओं को समाज में उनका खोया हुआ सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए सामाजिक व विधिक दोनों ही स्तरों पर राजा राम मोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, दयानन्द सरस्वती आदि समाज सुधारकों व लॉर्ड विलियम बैंटिंक जैसे गवर्नर जनरलों ने मिलकर गम्भीर प्रयास किए सती प्रथा उन्मूलन व शारदा एक्ट इसी के परिणाम थे। इसी के साथ स्वतंत्रता व समानता पर आधारित लोकतांत्रिक मूल्यों की बयार ने भी महिलाओं को घर की दहलीज से निकालकर विश्व पटल पर स्थापित कर दिया। नीति नियामक स्तर पर यह भी महसूस किया गया कि बिना आधी आबादी की भागीदारी के किसी भी लोक–हितकारी कार्यक्रम की शतप्रतिशत सफलता सुनिश्चत नहीं है कई लब्धप्रसिद्ध लेखकों ने तो स्वयं को नारीवादी (Feminist) ही घोषित कर दिया।
2. **स्वतंत्रता के पश्चात् महिलाओं की स्थिति**–आधुनिक समाज मे मध्य वर्ग तथा उच्च वर्ग की महिलाएं वकील, अफसर, प्रधानाध्यापक, चिकित्सक, इंजीनियर, पत्रकार व पायलट आदि हैं। निम्न वर्ग में स्त्रियां, अखबार बेचना, पान–बीड़ी बेचना, जंगल में लड़कियां काटकर लाना, कृषि कार्य में सहयोग देना आदि कार्य करती हैं। महिलाएं

गृह कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे गृहकार्य, बच्चों का पालन–पोषण, बर्तन, घर की सफाई, कपड़े धोना, सिलाई वृद्धाजनों की सेवा आदि अनगिनत कार्यों को करती है, जो कि पुरूषों के कार्यों से अधिक महत्वपूर्ण है। वर्तमान में तो महिलाएं बाहरी क्षेत्र में भी कार्य करती है। शिक्षा, व्यवसाय, प्रशासन आदि संबंधी उत्तरदायित्व निर्वाह के साथ वे सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी कार्यरत हैं वह पुलिस अफसर, वायुयान–पायलट, जलपोत संचालक आदि के दायित्वों को सम्भाल रही है।

श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती भंडारनायके, श्रीमती गोल्डामायर, श्रीमती थ्रेचर, श्रीमती चंद्रिका कुमारतुंगे आदि नारियां आधुनिक नारी में आये बदलाव को डंके की चोट पर बता रही है। इतना ही नहीं कई नारियां विश्व के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर भी हो आई है, जिनमें बछेन्द्र पाल एवं संतोष यादव के नाम उल्लेखनीय हैं। इसके आलावा किरण बेदी, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती शीला दीक्षित, श्रीमती वसुन्धरा राजे सिंधिया, श्रीमती सोनिया गांधी, सुश्री मायावती से लेकर कर्णम कलेश्वरी, पी0टी0 ऊषा और सानिया मिर्जा, एवं साईना नेहवाल जैसी कई महिलाओं ने पुलिस प्रशासन से लेकर विज्ञान, राजनीति और खेल के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया है। कला, अभिनय, संगीत, लेखन, मॉडलिंग यहाँ तक की विश्व सुन्दरी का खिताब जीतने वाली नारियां आज आकाश की ऊँचाईयों को छूती नजर आ रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 'समानता' के लिए नारी संघर्ष ने महत्वपूर्ण प्रगति की है और महिलाओं ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, विज्ञान, प्रबन्धन और खेलों आदि में अमिट छाप छोड़ी है।

भारत में लैंगिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित सराहनीय प्रयास किये गये हैं जिसमें सर्वप्रथम महिला सशक्तिकरण हेतु संसद द्वारा महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए समय–समय पर कानूनों का प्रावधान किया गया है।

उनकी स्थिति में लगातार परिवर्तन को देश में महिलाओं द्वारा हासिल उपलब्धियों के माध्यम से उजागर किया जा सकता है:

- 1879 : जॉन इलियट ड्रिंकवाटर बिथयून ने 1849 में बिथयून स्कूल स्थापित किया, जो 1879 में बिथयून कॉलेज बनने के साथ भारत का पहला महिला कॉलेज बन गया।
- 1833 : चंद्रमुखी बसु और कादम्बिनी गांगुली ब्रिटिश साम्राज्य और भारत में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिलायें बनीं।

- 1886 : कादम्बिनी गांगुली और आनंदी गोपाल जोशी पश्चिमी दवाओं में प्रशिक्षित होने वाली भारत की पहली महिलायें बनीं।
- 1905 : कार चलाने वाली पहली भारतीय महिला सुजान आरडी टाटा थीं।
- 1916 : पहला महिला विश्वविद्यालय, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय की स्थापना समाज सुधारकाधोंडो केशव कर्वे द्वारा केवल पांच छात्रों के साथ 2 जून 1916 को की गई।
- 1917 : एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष महिला बनीं।
- 1919 : पंडिता रामाबाई, अपनी प्रतिष्ठित समाज सेवा के कारण ब्रिटिश राज द्वारा कैसर–ए–हिन्द सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनीं।
- 1925 : सरोजनी नायडू भारतीय मूल की पहली महिला थीं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनीं।
- 1927 : अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की गई।
- 1944 : आसिमा चटर्जी ऐसी पहली भारतीय महिला थीं जिन्हें किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया।
- 1947 : 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद, सरोजिनी नायडू संयुक्त प्रदेशों की राज्यपाल बनीं और इस तरह वे भारत की पहली महिला राज्यपाल बनीं।
- 1951 : डेक्कन एयरवेज की प्रेम माथुर प्रथम भारतीय महिला व्यावसायिक पायलट बनीं।
- 1953 : विजय लक्ष्मी पंडित यूनाइटेड नेशंस जनरल एसेम्बली की पहली महिला (और पहली भारतीय) अध्यक्ष बनीं।
- 1959 : अन्ना चान्डी, किसी उच्च न्यायालय (केरल उच्च न्यायालय) की पहली भारतीय महिला जज बनीं।
- 1963 : सुचेता कृपालानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं, किसी भी भारतीय राज्य में यह पद सँभालने वाली वे पहली महिला थीं।
- 1966 : कैप्टेन दुर्गा बनर्जी सरकारी एयरलाइन्स, भारतीय एयरलाइंस, की पहली भारतीय महिला पायलट बनीं।
- 1966 : कमलादेवी चट्टोपाध्याय ने समुदाय नेतृत्व के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त किया।

- 1966 : इंदिरा गाँधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं।
- 1970 : कमलजीत संधू एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला थीं।
- 1972 : किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा (इंडियन पुलिस सर्विस) में भर्ती होने वाली पहली महिला थीं।
- 1979 : मदर टेरेसा ने नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त किया और यह सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला नागरिक बनीं।
- 1984 : 23 मई को, बचेन्द्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनीं।
- 1989 : न्यायमूर्ति एम. फातिमा बीबी भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला जज बनीं।
- 1997 : कल्पना चावला, भारत में जन्मी ऐसी प्रथम महिला थीं जो अंतरिक्ष में गयीं।
- 1992 : प्रिया झिंगन भारतीय थलसेना में भर्ती होने वाली पहली महिला कैडेट थीं (6 मार्च 1993 को उन्हें कमीशन किया गया)
- 1994 : हरिता कौर देओल भारतीय वायुसेना में अकेले जहाज उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनीं।
- 2000 : लक्ष्मी सहगल भारतीय राष्ट्रपति पद के लिए खड़ी होने वाली प्रथम भारतीय महिला बनीं।
- 2004 : पुनीता अरोड़ा, भारतीय थलसेना में लेफ्टिनेंट जनरल के सर्वोच्च पद तक पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला बनीं।
- 2007 : प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति बनीं।
- 2009 : मीरा कुमार भारतीय संसद के निचले सदन, लोक सभा की पहली महिला अध्यक्ष बनीं।

भारत में महिलाएं–

जनसंख्या (2011)	:58,64,69,174
कुल जनसंख्या से प्रतिशत (2011)	: 48.46%
लिंगानुपात– समग्र (2011)	: 940
ग्रामीण	: 947

शहरी	: 926
0–6 आयु वर्ग में लिंगानुपात	: 914
साक्षरता दर (2011)	: 65.46%
महिला कामगार सहभागिता दर (2009–10)	
ग्रामीण	: 26.1
शहरी	: 13.8
मातृत्व – मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म)	: 212
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (2002–06)	: 64.2 वर्ष
शिशु मृत्यु दर महिला (2010)	: 46 (प्रति 1000 जीवित जन्म)
विवाह के समय औसत आयु	: 20 वर्ष
केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में महिलाएं (2012)	: 74 में से 8
सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश (2012)	: 26 में से 2
उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश (2012)	: 634 में से 54
लोक सभा में सांसद	: 9%

महिलाओं को प्रभावित व सशक्त करने वाले कानून

धर्म के अनुसार वैवाहिक कानून

हिंदू (बौद्ध, सिख, जैन भी शामिल)	–	हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का 25)
ईसाई (कैथोलिक, प्रोटेस्टेट व अन्य)	–	ईसाई विवाह अधिनियम, 1872
	–	भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 (1869 का 4)
मुस्लिम महिलाएं	–	मुस्लिम विवाह रद्द अधिनियम, 1939
	–	मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) अधिनियम 1937 (1937 का 26)
पारसी	–	पारसी विवाह व विच्छेद अधिनियम, 1936
दीवानी शादी	–	विशेष विवाह अधिनियम, 1954
	–	विदेशी विवाह अधिनियम, 1969
	–	हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856
	–	संपरिवर्ती विवाह विघटन अधिनियम, 1866

ग्रामीण भारत में महिला सशक्तीकरण योजनाएं–

1. ग्रामीण महिला बाल विकास
2. जवाहर रोजगार योजना
3. इंदिरा आवास योजना
4. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
5. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
6. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
7. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
8. राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना
9. पुनर्गठित केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम
10. त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम

भारत सरकार व संविधान द्वारा प्रदान किऐ गये कानून व योजनाएं–

महिला सशक्तीकरण हेतु अन्य कानून–

- मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987
- हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम, 1937
- सती प्रथा निषेध अधिनियम, 1829
- बाल विवाह अवरोध अधिनियम (शादा एक्ट), 1929
- बाल विवाह अवरोध (संशोधन) अधिनियम, 1978
- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
- हिंदू नाबालिग तथा संरक्षरता अधिनियम, 1956
- हिंदू दत्तक एवं भरण–पोषण अधिनियम, 1956
- दहेज निरोधक अधिनियम, 1961
- प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
- मेडीकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, 1971

- अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम, 1986
- प्रसव–पूर्व निदान तकनीक (विनिमय एवं दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994
- पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984
- संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890
- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925
- विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम, 1874
- बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986
- बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966
- बंधित तथा पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976
- सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थियेटर कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1981
- ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
- कारखाना अधिनियम, 1948 (संशोधित 1979)
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
- मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936
- बागान श्रम अधिनियम, 1951
- कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923
- खान अधिनियम, 1952
- किशोर न्याय अधिनियम, 1986
- महिला अशिष्ट निरूपण (निषेध) अधिनियम, 1986
- अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956

भारत में बालिकाओं/कन्याओं/महिलाओं के कल्याणर्थ योजनाएं

भारत सरकार

(i) राष्ट्रीय महिला कोष

(ii) धनलक्ष्मी योजना

(iii) स्वाधार

(iv) जननी सुरक्षा योजना

(v) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना

(vi) 'सबला' किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी योजना

(vii) राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन

उत्तर प्रदेश

(i) कन्या विद्या धन योजना

(ii) पढ़े बेटियाँ–बढ़ें बेटियाँ

मध्य प्रदेश

(i) लाड़ली लक्ष्मी योजना

(ii) मुख्यमंत्री कन्या धन योजना

आन्ध्र प्रदेश

(i) बालिका संरक्षण योजना

दिल्ली

(i) लाड़ली योजना

राजस्थान

(i) राजलक्ष्मी योजना

हिमाचल प्रदेश

(i) बेटी है अनमोल योजना

(ii) इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना

हरियाणा

(i) लाड़ली योजना

पंजाब

(i) रक्षक योजना

बिहार

(i) मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना

(ii) मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

गुजरात

(i) कुवांरबैनू ममेरू योजना

गोवा

(i) 'सबला' योजना

इस प्रकार से कई योजनायें बनाकर सरकार ने महिलाओं के उत्थान व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आज जो महिलाओं की स्थिति है उसमें काफी हद तक इन योजनाओं ने महत्व पूर्ण भूमिका अदा की है और अब उनकी स्थिति समाज में सम्माननीय हुई है। अब उन्हें रथा का एक सबल पहिया माना जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ–

1. महिला सशक्ति करण दशा और दिशा मनीष कुमार

2- Googlenet e-library